फैक्स

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-19/2015/भा0स0 25/84-2-2015-सीपी 16/2003 टीसी 3

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेई,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद, लखनऊ, बदायूं, झांसी, कानपुर, मिर्जापुर, महोबा एवं गौतमबुद्धनगर

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 31 अगस्त, 2015

विषय भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली के उपभोक्ता कल्याण कोष 1996-97 से स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिये जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-14011/32/ 2015-सीडब्ल्यूएफ, दिनांक 05 अगस्त, 2015 संलग्नक सहित की संलग्न छायाप्रति का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली के उपभोक्ता कल्याण कोष 1996-97 से आपके जनपद में संचालित कतिपय स्वैच्छिक संगठनों को दिये गये अनुदान के सापेक्ष वांछित अभिलेख भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली को उपलब्ध कराने हेतु उन्हें तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार को अवगत भी कराने का कष्ट करें। प्रकरण महत्वूर्ण एवं संवेदनशील है। अत: आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

अनिल कुमार बाजपेई
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि - सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली को उनके अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 05 अगस्त, 2015 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

अनिल कुमार बाजपेई
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in